अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन,हाथी भाटा,जयपुर रोड़,अजमेर–305001

क्र.अविविनिलि / अ.एवं प्र.नि. / अ.अ.(योजना) / प. No 2218 प्रे. दिनांक 5 AUG 2002

अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
अजमेर / नागौर / भीलवाड़ा / उदयपुर /
झुझुनू /सीकर / बांसवाड़ा / चित्तौडगढ

विषयः– कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश(तृतीय संस्करण) के पैरा 18 (स) व निगम के आदेश आर.ई.अज–37 प्रे. 1870दिनांक 16.7.2002 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

आदेश संख्या आर.ई.अज–37 प्रे. 1870 दिनांक 16.7.2002 द्वारा कृषि कनेक्शन दिशा–निर्देश के पैरा 18 (स) को विलोपित कर दिया गया है। अब वर्तमान में पैरा 18 (स) के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगें और कनेक्शन स्थानान्तरण के लिए आर.ई.अज–37 प्रे. 1870 दिनांक 16.7.2002 के प्रावधान लागू होगें। अधिकारियों द्वारा इसकी व्याख्या सही तरीके से नहीं करने से इसे पुनः स्पष्ट किया जाता हैः–

1. पूर्व में कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण करने के लिए जरूरी था कि स्थानान्तण किये जाने वाले स्थान पर जमीन पांच वर्षो से अधिक समय से उसी उपभोक्ता की होनी चाहिए अब समय सीमा समाप्त कर दी गई है।
2. पूर्व में कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण करने के लिए यह भी प्रावधान था कि क्रेता द्वारा सम्पूर्ण जमीन खरीद ली हो न कि भूमि का कुछ हिस्सा। आंशिक भूमि क्रय के मामले में वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE-CONSUMER) प्रकरण वरियता (MERIT) के आधार पर निगम की स्वीकृति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. पूर्व में नये विद्युतिकृत गांव में प्राथमिकता के आधार पर (दो कनेक्शन) जारी किये गये कृषि कनेक्शनों को 5 वर्षो तक स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता था। अब समय सीमा समाप्त कर दी गई है। ऐसे मामलों में अन्य कनेक्शनों में आर.ई–अज– 37 प्रे. 1870 में वर्णित सभी प्रावधान उसी प्रकार लागू रहेगें।

30/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular

4. पूर्व में पुनः कृषि कनेक्शन होने के दो वर्ष के भीतर स्थानान्तरित करने के लिए निगम की स्वीकृति आवश्यक थी चुंकि अब कोई समय सीमा नहीं है इसलिए आदेश संख्या आर.ई.अज–37 में वर्णित सक्षम अधिकारी ही अधिकृत है।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् संभागीय मुख्य अभियन्ता (   ), अ.वि.वि.नि.लि, ...
2. उप मुख्य अभियन्ता (सी.एम.एण्ड वी.), अ.वि.वि.नि.लि, ...
3. वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि, ...
4. अधीक्षण अभियन्ता (   ), अ.वि.वि.नि.लि, ...।
5. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. अधिशाषी अभियन्ता (केन्द्रीय सतर्कता)ए अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. लेखाधिकारी (आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ...।
9. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

31/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular